

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा**:: आदेश ::** प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्नोक्त आदेश व भू अभिलेख निरीक्षक निम्नोक्त की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्नोक्त पटवार हल्का निम्नोक्त तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2021-22 में खाता संख्या 231, 232, 233, 474 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
9	निम्नोक्त आदेश	474, 232, 233, 231	शमेश्वर लाल पिला. सपाइराम	शमेश्वर लाल पिला. रमेश पिला. सपाइराम

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / ११

दिनांक:- 12/12/2021.

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

